

उप खण्ड अधिकायी
डीग (भरतपुर) राज.

8

दिनांक 29.12.1966 के अनुसार में अतिकमी से अतिकमण की गई मूँस $4\frac{1}{2}$ बीघा का मूँस हुआ था। जबकि राजस्थान सरकार के आदेश सं० एक० 15(648) राज०/ख) 65 जयपुर जिलाधीन महोदय भरतपुर के आदेश दिनांक अगस्त 1972 12/06(15) राज०/70 के अनुसार सरकार राजस्व रिपोर्ट में दर्ज है जो खिलफ कानून है। जबकि जो राजस्थान के आदेश है। परन्तु हाल ख०न० 192/0.46, 193/0.76, 77/0.95 पर वादी के स्थान पर मकबूजा वादी के नाम का नोट लगा हुआ है। वादी का उक्त आराजी पर 50 साल से कब्जा करत का विनियमन शूल्क लेकर हुआ था। इसका अंकन खसरा निरदावरी संवत् 2039-2042 में पुराने ख०न० 8 मि० में 100 बीघा से बनाये गये है। पुराने ख०न० 8 में से वादी को $4\frac{1}{2}$ बीघा इस आशय को पेश किया है कि हाल आराजी ख०न० 192/0.46, 193/0.76, 77/0.95 जो वादी ने यह बाद राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88-89, 188 के तहत



दिनांक 8/11/11

नियत

188 आर०टी०एक्ट

दावा अन्तगत धारा 88-89,

—प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार तहसील डीग जारिये राजस्थान सरकार
2. जिला कलेक्टर महोदय, भरतपुर

बनाम

—वादी

1. परसा पुत्र मूँगा कौम फौजदार जाट नि० ग्राम निरसे तहसील डीग (मृतक)
- 1/1- गोपाल पुत्र परसा कौम फौजदार जाट नि० ग्राम निरसे तहसील डीग

मूँस० 40/2011 राजस्व बाद

व इजलाशा श्री दुलीचन्द मीना आर०ए०ए०

न्यायालय उपखण्ड अधिकायी (महायक कलेक्टर) डीग (भरतपुर) राज०





उपखण्ड अधिकारी
ज़िला (भरतपुर) राज.

250/- प्रति बीघा की दर से 1125 रुपये तक विनियमन करा लिया था। परन्तु तहसीलदार ज़िला ने वादी को घना निरसि में खातेदार दर्ज नहीं किया। हाल विवादित आराजी पर खिलाफ़ कार्रवाई मकबूजा सरकार दर्ज है। राजस्थान सरकार के राजस्थान विभाग पत्र सं० 65 जयपुर दिनांक 01.10.1965 जिलाधीश भरतपुर प्रति जिलाधीश महोदय भरतपुर प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.1965 ग्रामवासी प्रतिमाननीय राजस्थ मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर व प्रति० जिलाधीश भरतपुर सं० एक 15(648)राज० (ख) 65 जयपुर दिनांक 29.12.1966 व प्रभाषी अधिकारी (राजस्थ) कार्यालय जिलाधीश भरतपुर पत्र संख्या राजस्थ 19194 दिनांक 12.12.1975 पेश है। ग्राम निरसि तहसील ज़िला को सरकारी भूमि पर अनाधिकृत आधिपत्य का नियमन प्रसंग-इस कार्यालय के पुस्तकान संख्या 5283-5408 दिनांक 22.07.1972 तथा 5527-5582 दिनांक 25.07.1972 आपका पत्र क्रमांक 70 दिनांक 15.11.1975 एवं राजस्थान सरकार राजस्थ (गुप-7) विभाग जिलाधीश भरतपुर क्रमांक 10 (25 राज०) जयपुर दिनांक 16.02.1981 प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प० 6 (25) राज० गुप-4/-80 जयपुर दिनांक 16.12.1981 की ओर से उप शासन सचिव राजस्थान सरकार राजस्थ (गुप-4) विभाग निमित्त जिलाधीश भरतपुर सन्देश आपका पत्र क्रमांक 1857-1858 दिनांक 23.04.1980 कार्यालय श्रीमान जिलाधीश भरतपुर के लिए संयोजक आवश्यक कार्यावाही हेतु क्रमांक राजस्थ 12/12/1679/795-96 दिनांक 07.03.1981 (1) उपजिलाधीश ज़िला (2) तहसीलदार ज़िला पेश की है फिर भी तहसीलदार ज़िला ने राजस्थान सरकार के आदेशों की अवहेलना की है। इस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधीश भरतपुर को व तहसीलदार ज़िला को घना निरसि की भूमि पर अतिक्रमी वादी ग्राम निरसि को श्रृंखलित कर विनियमन किया गया था। वादी के कब्जे काबल खातेदारी की आराजी से पर उक्त गलत इन्दाज के आधार पर प्रतिवादीगण वादी को उसकी खातेदारी की आराजी से बेखबर कर देना चाहते हैं जबकि जिलाधीश भरतपुर का व तहसीलदार ज़िला का ऐसा कोई आदेश राज्य सरकार ने विनियमन के बावद नहीं दिया है। परन्तु वादी को विनियमित के आधार पर राजस्थान रिकॉर्ड में खातेदारी से संबंधित कर दिया है। राजस्थान रिकॉर्ड में मकबूजा रखकर गलत घोषित कर रखा है जबकि वादी का आराजी पर दिनांक 01.07.1975 से पूर्व से भी अपनी आराजी पर कब्जा काबल वला आ रहा है। वादी विनियमन से पूर्व से ही आराजी मुक्त पर कब्जा काबल वला आ रहा है वादी को खातेदार काबलकार घोषित करमाया जावे।



उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

दि।

तनकी सं० 2.- आया वादी साहे चार बीघा आराजी घना गिरसै में कीमत से विनियमन हुआ

करा पाने का अधिकारी है।

तनकी सं० 1.-आया वादीगण विवाहित आराजीयात पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित

:-

वादीगण के दावा व प्रतिवादी के जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई
फरमाया जावे।

कानूनी अधिकार नहीं है दावा वादी निराधार होने से खरिज योग्य है अतः दावा वादी खरिज
कि वादी व इसके पूर्वजों को कम्पी भी आवंटित/नियमन नहीं वादी का आराजी मृतो पर कोई
वादी को कम्पी भी आराजी मृतो का नियमन नहीं हुआ है। आराजी मृतो सरकारी भूमि है जो
अतिकम्पी की हैसियत से काबिज है वादी का आराजी मृतो पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
कारण सरकारी भूमि को हड़पने का षडयन्त्र है। दावा वादी खरिज योग्य है। वादीगण
मृतो पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी का कथन निराधार व रिकॉर्ड से विपरीत होने के
कम्पी भी वादी एवं इसके पूर्वजों को कम्पी भी आवंटित/नियमन नहीं हुई है। वादी का आराजी
राजस्व रिकॉर्ड में मकबूजा सरकार के खाते में दर्ज है तथा सरकारी भूमि है। उक्त आराजी
ख०न० 8 मि० से बने हैं एवं हाल ख०न० 77 साहिक ख०न० 8 मि० व 11 मि० से बना है। जो
46, 193/0.76, 77/0.95 है 0 बाक़ ग्राम घना गिरसै मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साहिक
पैरोकार सरकार ने अपना जबाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल ख०न० 192/0.
जसिये सम्मन तलब किया गया प्रति० की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित अदालत आये।
वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जबाब देही हेतु प्रतिवादीगण को

काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

अतः दावा वादी हिक्की फरमाया जावे कि वादी को हाल आराजी घना गिरसै के ख०न०
192/0.46, 193/0.76, 77/0.95 है 0 बाक़ ग्राम घना गिरसै तहसील डीग पर खातेदार



उप खण्ड अधिकारी
डी। (भरतपुर) राज.

तनकी सं० 1 लगायत 4- इन तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद बहस की/वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :-

तनकी सं० 1- इन तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में नकल जमाबन्दी सं० 2067-2070 बाँके ग्राम घना गिरसै के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख० न० 133/233/0.44, 134/0.57 है। नकल मिलान सं० 2040 बाँके ग्राम घना गिरसै के अवलोकन से प्रकट है कि साबिक आराजी ख० न० 6 मि० से हाल आराजी ख० न० 133/233/0.44, 134/0.57 है। 0 बनना प्रकट है। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा की निरदावही भी आराजी ख० न० 1 की बावत है जिसके कालम सं० 4 में मकबूजा सरकार के नाम का अंकन है। उक्त रिपोर्ट के अलावा वादी ने फोटो प्रतियाँ जो राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्राचार/पत्र व्यवहार की पेश कि है उनके वादी पर उनके पूर्वजों के द्वारा में किसी प्रकार के कोई अंकन नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत

तनकी सं० 7.- दादरसी

का नियमित कारतकार धारित किए जा चुके हैं।

तनकी सं० 6.-आया वादी घना गिरसै की आराजी की उद्घोषणा हेतु राज्य सरकार से आदेश प्राप्त हुए थे तथा 54 कारतकारों को दिनांक 02.06.1989 को घना गिरसै की आराजी कया पाने का अधिकारी है।

तनकी सं० 5.-आया वादीगण विवाहित आराजी बावत प्रति० को ख्याई निषेधाज्ञा से पाबन्द

तनकी सं० 4.- आया वादी का कब्जा कारत विनियमन से पूर्व से ही चला आ रहा है।

विनियमन की हिकी/उद्घोषणा न्यायालय द्वारा की गई।

तनकी सं० 3.- आया वादी के गांव गिरसै के कारतकारों के नाम घना गिरसै में से

रिकॉर्ड में वादी या उनके पूर्वजों के नाम के कोई अंकन नहीं है बल्कि तहसीलदार/पैरोकार सरकार के द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे में अंकित कथन आराजी मुतनामा सरकारी भूमि है जो कि वादी व इसके पूर्वजों को कभी आवंटित/नियमन नहीं हुई है वादी का आराजी मुतनाजा पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दावा वादी निराधार होने से दावा खारिज योग्य है। उक्त कथन की पुष्टि होती है। इस प्रकार वादीगण अपने वाद के कथन को पुष्ट करने में असफल रहें हैं। इसलिए इन तनकीयातों का निर्णय विरुद्ध वादीगण किया जाता है।


तनकी सं० 5.—तनकी सं० 1 लगायत 4 का निर्णय विरुद्ध वादी हुआ है। वादी विवादित आराजी की बावत प्रति० को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः इस तनकी का निर्णय भी विरुद्ध वादी किया जाता है।

तनकी सं० 6.—इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है जिसे किसी विश्वनीय दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में वादी असफल रहा है। अतः इसी आधार पर यह तनकी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

दादरसी — तनकी सं० 1 लगायत 5 का निर्णय विरुद्ध वादी हुआ है। इसलिए वादी का दावा काबिले खारिजी के है।


अतः आदेश है कि —

दावा वादीगण प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से पुष्ट न होने पर खारिज किया जाता है।
मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।


उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक ...08/01/18... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.
उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)